न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 70/2020 बउनवानी अमरजीत सिंह बनाम लोक.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार पुत्र श्री श्रवण सिंह निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18.11.2020	दिनांक 17.11.2020 को अवकाश घोषित होने के कारण पत्रावली आज पेश हुई है। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 26.8.2020 को सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. पटवार हल्का दौलतपुरा के ग्राम दौलतपुरा के गैर मुमकिन तलाई और तालाब व अन्य सरकारी भूमि पर सम्वत् 2077 सन्,2020 इस वर्ष में अतिक्रमियों के नाम व अतिक्रमियो के नाम व अतिक्रमियों की गयी कार्यवाही का विवरण। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/राजस्व/1073 दिनांक 4.11.2020 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.8.2020 के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक राजस्व/2020/ 1058 दिनांक 29.10.2020 के द्वारा उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.8.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक राजस्व/2020/1058 दिनांक 29.10.2020 के द्वारा उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अपीलान्ट द्वारा जरिये डाक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर अवगत कराया कि तहसीलदार खण्डार द्वारा आधी अधूरी सूचना उपलब्ध करवायी गयी है क्योकि तहसीलदार खण्डार द्वारा तालाब की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले प्रभावशाली लोगो पर कोई कार्यवाही नही की गयी व गरीब व्यक्तियों पर कार्यवाही की गयी है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा अपनी आपत्ति में प्रभावशाली लोगो के विरूद्ध कार्यवाही नही करना अंकित किया जो कि एक कार्यवाही की श्रेणी मे आता है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत रचित सूचना दिये जाने का प्रावधान है इस अधिनियम के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही या शिकायत का निस्तारण किये जाने का प्रावधान नही है इसके लिए अपीलान्ट पृथक से संबंधित अधिकारी को शिकायत कर रखता है। इसलिए अपीलान्ट को ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (नन्नू मल पहाडिया) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nannu Mal Pahadia
Date: 2020.12.24 16:25:48 IST
Reason: SelfAttested